भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1034

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व

1034. श्री पुष्पेंद्र सरोज :

सुश्री इकरा चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, भारत सरकार के विधिक पैनलों और नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (नाल्सा) से संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिवक्ताओं की राज्यवार/संवर्गवार और न्यायालय स्तरवार संख्या कितनी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, भारत सरकार के विधिक पैनलों और नाल्सा से संबद्ध योजनाओं में वर्तमान में प्रैक्टिस कर रही महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिवक्ताओं की जनपदवार, संवर्गवार और न्यायालय स्तरवार संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य के प्रथम पीढ़ी के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के विधि स्नातकों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई केंद्र प्रायोजित क्लर्कशिप/फेलोशिप अथवा मेंटरशिप कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और यदि हां तो उसके अंतर्गत राज्यवार और उत्तर प्रदेश में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, भारतीय विधि परिषद् (बीसीआई) भारत में विधि वृत्तिक के विनियमन के लिए उत्तरदायी है और पंद्रह राज्य विधिज्ञ परिषदों से भारतीय विधिज्ञ द्वारा संकलित किए गए नवीनतम समेकित अभ्यावेशन आकड़ों के अनुसार संपूर्ण देश में लगभग 2,84,507 महिला अधिवक्ता अभ्यावेशित हैं जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में

नवम्बर, 2024 तक महिला अधिवक्ताओं की संख्या 49545 है । तथापि, एससी/एसटी अधिवक्ताओं के संबंध में यह कथन किया जाता है कि जाति-वार अभ्यावेशन के आंकड़े भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार अधिवक्ताओं के पैनलीकरण का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रक्रिया अधिवक्ताओं की उपयुक्तता और योग्यता पर, उनके लिंग, जाति या समुदाय को ध्यान में न रखते हुए, पूर्णतया आधारित है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिज्ञ सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) पेनलीकृत अधिवक्ताओं के जाति प्रवर्गों, जिनमें अनुसूचित जातियाँ (एससी) और अनुसूचित जनजातियां (एसटी) भी हैं, के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है । तथापि, नाल्सा सहबद्ध स्कीमों के अधीन पैनलीकृत महिला वकीलों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:-

सारणी

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	महिला वकील
1	आंध्र प्रदेश	390
2	अरुणाचल प्रदेश	41
3	असम	231
4	बिहार	350
5	छत्तीसगढ	362
6	गोवा	141
7	गुजरात	679
8	हरियाणा	271
9	हिमाचल प्रदेश	71
10	झारखंड	246
11	कर्नाटक	986
12	केरल	862
13	मध्य प्रदेश	342
14	महाराष्ट्र	1137
15	मणिपुर	83
16	मेघालय	95
17	मिजोरम	25
18	नागालैंड	30
19	ओडिशा	307
20	पंजाब	165
21	राजस्थान	148
22	सिक्किम	69
23	तमिलनाडु	868
24	तेलंगाना	326
25	त्रिपुरा	81
26	उत्तर प्रदेश	221
27	उत्तराखंड	72
28	पश्चिमी बंगाल	710
29	अंदमान और निकोबार द्वीप	10
30	चंडीगढ़	20
31	दादरा और नागर हवेली	1
32	दमण और दीव	9
33	दिल्ली	482
34	जम्मू - कश्मीर	135
35	लद्दाख	5
36	लक्षद्वीप	0
37	पुडुचेरी	110
	कुल	**10081**

(ग) : पहली पीढ़ी अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जानजाति(एसटी) विधि स्नातकों के लिए कोई ऐसा केन्द्रीय रूप से सहायता प्राप्त क्लर्की, अध्येतावृत्ति या परामर्श तैयार नहीं किया गया है । तथापि, कुछ राज्य विधिज्ञ परिषदों ने, जिनमें उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद् भी है, अधिष्ठापन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतत विधि शिक्षा माड्यूल्स, जैसे सीमित उपायों तथा ज्येष्ठ अधिवक्ताओं और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर संयोजित किए गए अनौपचारिक परामर्श सत्रों को आरंभ किया है । ये उपाय, जबकि सराहनीय हैं, न तो एक समान रूप से विनियमित किए जाते हैं और न ही केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित कार्य ढांचे पर आधारित है और इसके अंतर्गत एससी/एसटी या प्रथम पीढ़ी प्रास्थित का विनिर्दिष्ट ट्रेकिंग भी सम्मिलित नहीं है ।

****